

21/03
2025

पत्रावली लारीक पेरी से हल्क आलपेश
हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। वकील
डिबीदार उपर जीमान नि लायलवलरमहो
धौलपुर न्यायालय द्वारा एन-पीपी लरके
आदेश दिनांक 20/08/2024 को उक्त आदेश
दिनांक 18/12/2024 से निरस्त किया जा
सुका है। अतः पत्रावली में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। पत्रावली परिलक्ष्य सुपल
धौलपुर न्यायालय है।



उपसचिवधिकारी
धौलपुर (सज0)